न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा जिला–दौसा

क्रमांक : राजस्व/न्यायालय/2023/1668 दिनांक :– 15/2/23

–: आदेश :–

श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र प्रभुदयाल बैरवा ग्राम पोस्ट गुढाकटला तहसील बसवा न्यायालय हाजा में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत वास्ते नाम दुरस्ती राजस्व रिकोर्ड हेतु एक प्रा.पत्र पेश किया गया ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रार्थी को दुरस्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेजात पेश करने हेतु आदेशित किया गया ।

प्रार्थी राजेश कुमार बैरवा पुत्र प्रभुदयाल बैरवा ग्राम पोस्ट गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा का कथन है कि वह गुढाकटला का निवासी है, किंतु प्रार्थी का नाम जमाबंदी में राजू दर्ज हो गया, जबकि अन्य सभी दस्तावेजात एवं तहसीलदार द्वारा प्रदत्त दस्तावेज में प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेश है अतः राजस्व रिकोर्ड में भी प्रार्थी का नाम राजेश किया जावे ।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर न्यायहित में प्रार्थी को प्रकरण से जुडे एवं उसके प्रा. पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजात पेश करने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही राजस्व विभाग यथा तहसीलदार द्वारा जारी विभिन्न प्रमाण पत्र, जो इस तथ्य की ताईद करते हों, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजू न होकर, डॉक्यूमेंट्री आधार पर राजेश कुमार है, पेश करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये ।

प्रार्थी द्वारा उसके इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नाकित दस्तावेजाते संलग्न कर प्रस्तुत किये हैं :–

1. शपथ पत्र 100/रूपये का नोटेरी अटेस्टेड शपथ पत्र पेश किया है कि जिसके मुताबिक प्रार्थी द्वारा ग्राम गुढाकटला के खाता संख्या 319 के खसरा नंबर 1024/1574, 1247, 1248, 736 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 हैक्टर में त्रुटिवश नाम राजू पुत्र प्रभु अंकित हो गया है जिसे राजेश पुत्र प्रभु किया जाने हेतु, यह शपथ पत्र मय अन्य सहखातेदारान के हस्ताक्षर सहित पेश किया गया है ।
2. ग्राम पंचायत गुढाकटला के पत्रांक 5.1.2023 के मुताबिक राजू व राजेश एक ही व्यक्ति हैं किंतु अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजेश अंकित है, इसलिए प्रार्थी का सही नाम राजेश पुत्र प्रभु किया जावे ।
3. राशन कार्ड बारकोड 007790802792 ग्राम पंचायत गुढाकटला में भी प्रार्थी का नाम राजेश कुमार बैरवा पुत्र स्व0प्रभु दयाल अंकित है ।
4. नामान्तकरण संख्या 410 ग्राम गुढाकटला के मुताबिक भी प्रार्थी का नाम त्रुटिवश राजू अंकित किया गया ।
5. प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 305503439324, निर्वाचन कार्ड आरजे/07/051/282547, जन आधार कार्ड संख्या 4701158211, ड्राइविंग लाइसेंस नं. आरजे 29–20110096260, मा.शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंक तालिका रोल नं. 447826, जाति प्रमाण पत्र 189/1.3.1996, मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या 297 दिनांक 2.3.1996, बैंक जयपुर थार ग्राम आचंलिक बैंक खाता संख्या 11327614942 के मुताबिक भी प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम 'राजेश कुमार' ही अंकित है ।
6. प्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम दुरस्ती के प्रा.पत्र में अन्य सहखातेदारान आधार कार्ड हस्ताक्षरयुक्त नाम परिवर्तिन के समर्थन में पेश किये है।

अतः उक्त समस्त दस्तावेजात के आधार पर राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम गुढाकटला के खाता संख्या 319 के खसरा नंबर 1024/1574, 1247, 1248, 736 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 हैक्टर भूमि निम्न संशोधन के एतदद्वारा आदेश दिये जाते हैं :–

वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रविष्टि		इस आदेश के उपरांत कॉलम संख्या 1 में अंकित प्रविष्ठि जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जाना है	
1		2	
कम	नाम	कम	नाम
1	राजू पुत्र प्रभु	1	राजेश कुमार पुत्र प्रभु

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.15 13:30:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्तानुसार ग्राम गुढाकटला के खाता संख्या 319 के खसरा नंबर 1024/1574, 1247, 1248, 736 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 हैक्टर को कॉलम संख्या 1 के बजाए कॉलम संख्या 2 में अंकित प्रविष्ठि राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने के आदेश एतदद्वारा जारी किये जाते हैं ।

उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला–दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)